

२२/७/२०२१

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	२२/७/२०२१	<p>पत्रावली पेश हुई। व. क. उपा. पत्रावली साविक आदेश..... जयपुर शायमी गरी दिनांक..... से पेश हो।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत। प्राचीन अधिवक्ता व अप्राचीन संख्या 1, 2, 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पर अस्वार्थ निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्राचीन ने निवेदन किया कि अप्राचीन को जरूरी अस्वार्थ निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया तो प्राचीन को जबरन बेखजल कर देंगे। पत्रावली का हल्लोलक किया गया। नूक मूलकाड खंठवारे से संबंधित है। पत्रकारक के मध्य खंठवारा होगा। इतः उपपत्रक को अस्वार्थ निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा मन्बल 187 रकबा 6.18 हैक्टर, 189/414 रकबा 0.08 हैक्टर कुल क्तिता 2 कुल रकबा 6.28 हैक्टर के ग्राम सिसी तहसील झोकर जिला जयपुर में विशिष्ट शू-भाग का बेचान व खसरे मूल काड के निस्तारण तक नहीं करे। पत्रावली फैनल शुमा हाका काखिल वमत है।</p>	

सहायक कलक्टर
 जयपुर